

बिहार सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग  
(भू-अर्जन निदेशालय)  
अधिसूचना

पटना, तारीख:.....


सं.....रा० चूंकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-रसुलपुर, थाना नं०-52, सर्वे थाना-मसौढ़ी, जिला-पटना में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् बिहटा-सरमेरा राज्य उच्च पथ सं०-78 के निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है। इसलिए, इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम-रसुलपुर, थाना नं०-52 के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कम-वेश 0.40 एकड़ के बराबर होता है और जिसका सर्वे खेसरा संख्या-99, 118 सभी अंश भाग एवं खेसरा संख्या-110 पूर्ण भाग है और जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है-

उत्तर : खेसरा संख्या-99 अंश, 120 पूर्ण, 117 पूर्ण  
पूरब : खेसरा संख्या-100 पूर्ण, 109 पूर्ण, 115 पूर्ण  
दक्षिण : खेसरा संख्या-101 पूर्ण, 111 पूर्ण, 118 अंश  
पश्चिम : खेसरा संख्या-98 पूर्ण, 111 पूर्ण, 122 पूर्ण


यह अधिसूचना, अधिनियम 1, 1894 की धारा 4 के उपबंधों के अधीन जैसा कि बिहार अधिनियम 11 सन् 1961 द्वारा संशोधित हुआ है उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिसका इससे संबंध हो।

भूमि का नक्शा भू-अर्जन पदाधिकारी पटना के कार्यालय में देखा जा सकेगा। बिहार सरकार जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पटना और उनके कर्मचारियों तथा इस परियोजना से संबंधित प्रारम्भिक अनुसंधान में तत्समय लगे उप महाप्रबंधक, तकनीकी, परियोजना कार्यान्वयन ईकाई, बिहार स्टेट डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लि०, बिहारशरीफ, के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को भूमि पर जाने और उसका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) में यथा उपबंधित या विनिर्दिष्ट अपने कार्य के समुचित निष्पादन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

उक्त अधिनियम की धारा 17 (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार ने निश्चय किया है कि परियोजना की शीघ्रता को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 5A के उपबंध लागू नहीं होंगे।

  
समाहता  
पटना।


बिहार राज्यपाल के आदेश से

  
सरकार के सचिव

ज्ञापांक सं०- २१३/२७

दिनांक: - ३१-०१-१३

1. प्रतिलिपि तीन अतिरिक्त प्रतियों सी०डी० के साथ निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार, पटना को दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदा०, पटना को भेजने हेतु प्रेषित।
2. प्रतिलिपि प्रभारी उप समाहर्ता, जिला गजट, पटना को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट की ५-५ प्रतियां इस विभाग एवं जिला भू-अर्जन कार्यालय, पटना को भेजने हेतु प्रेषित।
3. प्रतिलिपि समाहर्ता/जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के ~~अ~~ सचिव।